

U7CM8-2023/19

FORM NO -III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

1

अज अदालत कलक्टर,

मुकाम

नागौर

प्रार्थी

बनाम



अप्रार्थीगण

ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल व्यास
आयु 70 वर्ष जाति ब्राम्हण
निवासी जयशिव चौक मकराना
जिला नागौर (राजस्थान)

1. नारायणलाल गुर्जर पुत्र माधोजी गुर्जर
निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर हाल
निवासी बोरावड़ कुमारी रंज बोरावड़
जिला नागौर (राज0) वगैरह

04/2023

किस्म मुकदमा मुत्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 13 सन् 2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख जो अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|----------------|--|---|
| 19.06.2023 | <p>वकील प्रार्थीगण ने यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र धारा 411 सी.आर.पी.सी के तहत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मकराना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या-02/2023 रूपाराम पुत्र भंवराराम वगै बनाम नारायणलाल पुत्र माधोजी वगै. अधीन धारा 133 दं.प्र.सं. की पत्रावली अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई व निर्णय हेतु मुत्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मकराना को प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं के संबंध में पैरावाईज टिप्पणी तलब हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस से तलब होकर पत्रावली दिनांक 18.07.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलक्टर, नागौर </p> | |
| 18.7.23 | <p>वकील प्रार्थी उपरोक्त वकील गौ मोठे सिलावट ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया, जो शा. नि. हो। वकील गौ मोठे शा. नि. सिलावट ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर आईदा जबाब पेश करने हेतु अवसर चाहा, जो दिया जाता है। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 3 का नोटिस तलबना पेश किया, जो तलबी जारी हो तब गौ आदेशातुकार L.C से पैरावाईज टिप्पणी तलब होकर पत्रावली दिनांक 18/7/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  कलक्टर नागौर </p> | |

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

6/2/24 पत्रावली पेश हुई।
अभ्याधी सं 01 व 02 के जवाब हेतु पत्रावली
दिनांक 13/2/24 को पेश है।
9

13/02/24 पत्रावली पेश हुई। जिला बार संघ डीडवाना ने न्यायिक
कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली आईन्या दिनांक
04/03/2024 को पेश हो।

4/3/24 पत्रावली पेश हुई।
जिला बार संघ डीडवाना ने लागू कर्म
स्थगित रखा है। पत्रावली दिनांक
19/3/24 को पेश है।

19/3/24 पत्रावली पेश हुई।
उपरोक्त अधिकारी मफराजा का स्थानान्तरण हो
चुका है। परिभाषित अधिकारी का स्थानान्तरण
होने से इस मुकदमे पर प्रार्थना पत्र का कोई अहित
नहीं रह जाता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल कुमार चौधर दायरे
के अंतर्गत है।

9/3/24
जिला कलेक्टर
डीडवाना-कुचामन